न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 38/20 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2020/00038)

श्याम बाबू, महेन्द्र पुत्रान रामस्वरूप जाति जाटव निवासी डहरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्टस

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश अति0 जिला कलक्टर भरतपुर दिनांक 27.11.2007 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थितिः–

1. श्री महाराज सिंह डागुर-वकील अपीलान्ट
2. श्री राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांकः– 11.09.2023

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के निर्णय दिनांक 27.11.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार कुम्हेर ने अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 1856/0.25 में से 0.01 ग्राम डहरा तहसील कुम्हेर पर पक्का मकान बना कर अतिक्रमण किये जाने पर अतिक्रमी मानते हुये निर्णय दिनांक 24.9.2007 से बेदखल कर पेनल्टी से आरोपित किया गया है। तहत अदालत अति0 जिला कलक्टर द्वारा प्रकरण में बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.11.2007 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट खारिज करते हुये तहसीलदार कुम्हेर के आदेश दिनांक 24.9.2007 को यथावत रखा गया। इस आदेश के खिलाफ द्वितीय अपील अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तहत पत्रावली तलब की गई वकील उभयपक्ष को तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2007 रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। तहसीलदार कुम्हेर की ओर से प्रीप्रिन्टेड प्रारूप में निर्णय दिनांक 24.09.2007 को पारित किया है। जबकि कोई भी निर्णय हस्तलिखित अथवा टंकित किया जाना आवश्यक है। पहले से मुद्रित प्रारूप में पारित किया गया निर्णय निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। इस निर्णय में अपीलान्ट की अदालत मातहत में उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के बारे में कोई उल्लेख नहीं है और न ही अपीलान्ट की ओर से जवाब पेश किए जाने/नहीं

संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

किए जाने का उल्लेख है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिए गए। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट की ओर से अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर के न्यायालय में प्रथम अपील पेश किए जाने पर विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने भी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार नहीं कर अपीलान्ट की अपील खारिज किए जाने का आदेश दिनांक 27.11.2007 को पारित किया है। उपरोक्त दोनों आदेश रिकार्ड व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। उक्त प्रकरण में वस्तुस्थिति यह है कि जिस भूमि के संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही की गई है, वह भूमि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की आबादी भूमि है जो अपीलान्ट के पुरखों के समय से ही आबादी एवं रिहायश के काम में आ रही है। आबादी भूमि के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती व नहीं तहसीलदार को इस तरह का कोई क्षेत्राधिकार ही है। अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। यदि मौका रिपोर्ट प्राप्त की जाती तो वस्तुस्थिति सामने आ सकती थी। अपीलार्थी ने संवधित ग्राम पंचायत से निर्माण स्वीकृति लेकर आवासीय मकान बनाया है। आबादी भूमि की ग्राम पंचायत कस्टोडियन होती है। विधिवत रूप से निर्मित मकानों को हटाने का आदेश देने का अधीनस्थ न्यायालय का अधिकार नहीं है। उक्त आदेश अवैद्य व शून्य प्रभाव लिए होने के कारण निरस्तनीय है। राजस्व अभिलेख में विवादित भूमि का गैर मुमकिन रास्ते के रूप में गलत इन्द्राज हुआ है। मौके पर 25–30 फुट चौडाई का रास्ता मौजूद है जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पक्का खंरजा निर्मित किया जा चुका है। आवागमन में कोई अवरोध नहीं है। तहत अदालत ने पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई गलत रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर प्रदान नहीं किया और न ही जवाब व साक्ष्य आदि पेश करने का कोई मौका ही नहीं दिया गया। इसी तरह प्रथम अपीलीय न्यायालय में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर ने भी तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित निर्णय को यथावत रखे जाने में कानूनी भूल की है, क्योंकि विवादित भूमि जिसके संबंध में अपीलान्ट के विरूद्ध अतिकमण की कार्यवाही की गई है, आबादी की भूमि है जिसके संवंध में राजस्व न्यायालय को कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। इस आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.09.2007 व अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.11.2007 निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के विरूद्ध की गई कार्यवाही ड्रॉप किए जाने के आदेश दिए जावें।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हए सरकारी पैरोकार ने तर्क दिया कि तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.09.2007 व प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डीग द्वारा पारित आदेश

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

दिनांक 27.11.2007 रिकार्ड व तथ्यों पर आधारित होने के कारण उचित है। अपीलान्ट के विरूद्ध जिस भूमि के संबंध में कार्यवाही की गई है वह भूमि आबादी भूमि नहीं होकर राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अपीलान्ट द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण किए जाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किए जाने पर अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से बेदखल किए जाने व लगान की 50 गुना राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है, जो कि नियमानुसार है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाए जाने के संबंध में आदेश दिए जाने हेतु तहसीलदार पूर्ण सक्षम है। इसी प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा भी प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो कि स्पष्ट व स्पीकिंग है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर दोनों अदालत मातहत के निर्णय यथावत रखे जावें।

रिब्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि पटवारी हल्का की ओर से जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें न तो यह उल्लेख किया गया कि अपीलान्ट का कितनी भूमि पर किस ओर अतिक्रमण है और न ही अपीलान्ट की उपस्थिति में ही पैमाइश करवाई गई। रिपोर्ट में रास्ते की चौड़ाई के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया। मौके पर पर्याप्त रास्ता मौजूद है। विवादित भूमि रास्ते की भूमि नहीं होकर आबादी भूमि है। जिसको भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलती से गैर मुमकिन रास्ते की भूमि दर्ज किया गया है। यदि समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाता व मौके पर पैमाइश की जाती तो वस्तुस्थिति सामने आ सकती थी, परन्तु तहसीलदार द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर उक्त कार्यवाही की गई है, जो कि उचित नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णयों संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की ओर से तहसीलदार कुम्हेर को दिनांक 14.08.2007 को अपीलान्ट के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि खसरा नंबर 1856 रकबा 0.25 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में से 0.01 है0 रकबे में पक्का मकान बनाकर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा की गई। उक्त रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा भी संलग्न किया गया। उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार की ओर से अपीलान्ट को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया जिसमें दिनांक 30.08.2007 को न्यायालय में उपस्थित होने की अपेक्षा की गई। इस नोटिस की पालना में अपीलान्ट दिनांक 30.08.2007 को तहसीलदार के न्यायालय में उपस्थित हुए हैं, जिसकी पुष्टि आदेशिका पर हो रही अगूंठा निशानी से हो रही है। अगली नियत पेशी दिनांक 05.09.2007 को अपीलान्ट की ओर से इस आशय

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

का जवाब पेश किया गया कि विवादित भूमि पर उसका कोई अतिक्रमण नहीं है। खसरा नंवर 1856 रास्ते आम की भूमि के दोनों तरफ प्रार्थीगण गैर सायलान की खातेदारी की आराजी भूमि स्थित है, जिस पर प्रार्थी व उसके पूर्वज निवास करते चले आ रहे हैं एवं वर्तमान में पुख्ता मकान वने हुए हैं, जिनमें प्रार्थी निवास कर रहे हैं। उनके द्वारा न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में रास्ते की भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है और न ही वर्तमान में ही कोई अतिक्रमण है। इनके मकान के सामने लगभग 30 फीट चौड़ा रास्ता है। जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा 20 फीट चौड़ाई में पक्का खंरजा वनाया हुआ है। खरंजे के वाद पक्की नालियों का निर्माण किया हुआ है, जो वर्तमान में रास्ते आम मे आने–जाने में कोई किसी प्रकार की रूकावट या असुविधा नहीं है। नोटिस जवाव में यह भी उल्लेख किया है कि उन्हें अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम लिमिटेड भरतपुर द्वारा शिल्पीशाला में घरों का निर्माण कराया है। जिस पर अप्रार्थीगण काविज है। साविक खसरा नंवर 853 रकवा 1 वीघा 18 विस्वा से भू प्रवंध विभाग द्वारा सैटलमेंट के दौरान खसरा नंवर 1854/0.01, 1855/0.12, 1856/0.25 है0 कुल कितना 3 रकवा 0.38 है0 वनाए हैं जो साविक के मुकावले 0.08 अधिक है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी की आवादी की भूमि है। उनके द्वारा वने रास्ते की भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, इसलिए की जा रही कार्यवाही ड्राप की जावे। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा अपीलान्ट का जवाव पेश होने पर निर्णय दिनांक 24.09.2007 जो कि प्री–प्रिन्टेड प्रारूप में है, के खाली स्थानों की पूर्ति कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उक्त निर्णय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाव का कोई उल्लेख नहीं है और न ही नोटिस जवाव में वर्णित तथ्यों से सहमत/असहमत होने के वारे में ही कोई अभिमत दिया गया है। यद्यपि तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का के वयान दिनांक 13.09.2007 को लिए हैं। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा यह वयान दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत डहरा द्वारा 17 फीट व 20 फीट खरंजा करवाया हुआ है तथा पानी निकास हेतु नालियां वनी हुई हैं। खंरजा व नालियों पर कोई अतिक्रमण नहीं है। इस रास्ते में आने–जाने में कोई परेशानी नहीं है। खरंजा व नालियों से हटकर अतिक्रमण है, जिसकी धारा 91 के तहत रिपोर्ट की गई है। यह रास्ता आवादी भूमि से सटा हुआ है। तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पटवारी हल्का की वयानों के संबंध में भी निर्णय दिनांक 24.09.2007 को कोई विवेचन नहीं किया। इस दृष्टि से भी अपीलाधीन निर्णय उचित नहीं कहा जा सकता है। जहां तक प्रथम अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2007 का प्रश्न है तो उक्त निर्णय में विद्वान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने यह मानते हुए कि अपीलान्ट द्वारा खसरा नंवर 1856 रकवा 0.25 है0 में से 0.01 है0 रकवे पर पक्का मकान का निर्माण कर अतिक्रमण किया है। राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत गैर–मुमकिन रास्ते पर आवंटन व

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

नियमन नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर तहसीलदार कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय को उचित मानकर अपीलान्ट की प्रथम अपील खारिज की है। उक्त निर्णय यद्यपि इस दृष्टि से तो उचित है कि विवादित भूमि की किस्म गैर–मुमकिन रास्ता है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत गैर–मुमकिन रास्ता पर आवंटन व नियमन नहीं किया जा सकता, परन्तु अपीलान्ट की ओर से मीनो आफ अपील में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार कुम्हेर के न्यायालय में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस में वर्णित तथ्यों के बारे में कोई विवेचन अपीलाधीन निर्णय में नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2007 भी उचित नहीं कहा जा सकता।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 27.11.2007 व तहसीलदार कुम्हेर की ओर से पारित आदेश दिनांक 24.09.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार कुम्हेर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पुनः नए सिरे से स्पीकिंग व स्पष्ट हस्तलिखित/टंकित निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 11.09.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(साँवर लाल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर